



## प्रेस नोट

### सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 06.03.2026

➤ थाना सट्टी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये 01 शातिर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को अवैध असलाह-कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार ।

कृपया अवगत कराना है कि कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियंत्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 06.03.2026 को थाना सट्टी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, तलाश वांछित/ वारण्टी अभियुक्त रवाना होकर ग्राम अफसरिया की मडैया की तरफ जा रहे थे तभी अफसरिया गाँव के सामने सट्टी ग्राम की तरफ से आने वाली कच्ची सड़क तिराहे पर पहुँचे तभी एक व्यक्ति सट्टी गाँव की तरफ से पैदल आता हुआ दिखाई दिया । जिसे थाना सट्टी पुलिस टीम द्वारा टार्च की रोशनी लगाकर देखा और रुकने हेतु कहा गया, तो वह व्यक्ति पीछे मुड़कर तेज कदमों से चलने लगा तभी संदिग्ध प्रतीत हुआ। जिसे पुलिस टीम द्वारा एक वारगी दबिश देते हुये घेर कर तिराहे से करीब 100 मीटर की दूरी पर सट्टी जाने वाली कच्ची सड़क पर ही पकड़ लिया और पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम चाँद बाबू उर्फ मोहम्मद पुत्र हारून कसाई निवासी ग्राम सट्टी थाना सट्टी जिला कानपुर देहात बताया और उसकी तलाशी से 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। अवैध शस्त्र बरामदगी के आधार पर अभियुक्त को हिरासत पुलिस में लिया गया । अभियुक्त की गिरफ्तार व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सट्टी पर मु0अ0सं0 11/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

### गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

1. चाँदबाबू उर्फ मोहम्मद पुत्र हारून कसाई उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम सट्टी थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात ।

### अभियुक्त चाँदबाबू उर्फ मोहम्मद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 18/2017 धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात ।
2. मु0अ0सं0 106/2015 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात ।
3. मु0अ0सं0 52/2011 धारा 429 IPC व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात ।
4. मु0अ0सं0 64/2010 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात ।
5. अ0सं0 23/2002 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात ।
6. अ0सं0 03/2006 धारा 147/148/149/307 भादवि0 थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात ।

7. अ0सं0 6/2006 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात ।
8. अ0सं0 64/2010 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात ।
9. अ0सं0 4/2011 धारा 3/5 गुण्डा एक्ट थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात ।
10. अ0सं0 29/2014 धारा 18/20 एनडीपीए एक्ट थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात ।
11. अ0सं0 141/2015 धारा 3/5 गुण्डा एक्ट थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात ।
12. अ0सं0 219/2015 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात ।
13. अ0सं0 68/2019 धारा 325/353 भादवि0 थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात ।
14. अ0सं0 100/2020 धारा 8ए(सी)/18 एनडीपीएस एक्ट थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात ।
15. अ0सं0 16/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात ।
16. अ0सं0 79/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात ।
17. अ0सं0 11/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात ।

गिरफ्तार करने वाली थाना सट्टी पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री कालीचरण
2. उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार
3. हे0का0 332 रामवीर सिंह
4. का0 381 अजय कुमार